Neutral Citation No. - 2026:AHC:164197

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 45295 वर्ष 2009

संजीव कुमार @ टीटू .....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य .....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अरुण कुमार सिंह, पुनीत खरे, रमेश कुमार, सौरभ गौर

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 34

(एस.एन. 66)

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार केसरवानी को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 26.04.2007 के उस आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 30.08.2007 के आदेश तथा दिनांक 30.04.2008 के आदेश को भी चुनौती दी है, जिनके द्वारा दिनांक 26.04.2007 के आदेश

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा क्रमशः दाखिल अपील एवं पुनरीक्षण को भी निरस्त कर दिया गया था।

3. मामले के संक्षेप में वर्णित तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को पी.ए.सी. में आरक्षी के पद पर नियुक्त किया गया था तथा दिनांक 08.06.2006 को उसकी तैनाती 28वीं वाहिनी, पी.ए.सी. में की गई थी। वह दस दिन के अर्जित अवकाश तथा दो दिन के अन्य अवकाश पर गया था और उससे यह अपेक्षा थी कि अवकाश की अवधि पूर्ण होने पर वह दिनांक 21.06.2006 को अपनी ड्यूटी पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उपर्युक्त अवकाश अवधि के दौरान याचिकाकर्ता अस्वस्थ था और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मोदीनगर, गाजियाबाद में उसका उपचार चल रहा था। इस संबंध में उसने अपनी बीमारी की सूचना प्रतिवादी संख्या 2 को भेजी थी और लगातार अस्वस्थ रहने के कारण वह ड्यूटी पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका। तत्पश्चात् दिनांक 25.06.2006 को याचिकाकर्ता को थाना मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 243 वर्ष 2006, धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, मुकदमा अपराध संख्या 244 वर्ष 2006, धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, तथा मुकदमा अपराध संख्या 245 वर्ष 2006, धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत, एवं मुकदमा अपराध संख्या 0 वर्ष 2006, धारा 414 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पंजीकृत मामलों के संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया।

5. दिनांक 07.09.2006 को जेल से रिहा होने के पश्चात् याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.09.2006 को वाहिनी में उपस्थित होकर अपनी आमद दर्ज कराई। याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया तथा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात् दिनांक 14.09.2006 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किया गया, जिसमें उसे दिनांक

Translated Version. Not For Legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

25.09.2006 तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके पश्चात् याचिकाकर्ता ने कुछ दस्तावेज मांगे, जो उसे दिनांक 24.09.2006 को उपलब्ध करा दिए गए। याचिकाकर्ता ने दिनांक 09.10.2006 को आरोप-पत्र के प्रति अपना उत्तर प्रस्तुत किया तथा याचिकाकर्ता का कथन भी दर्ज किया गया। तत्पश्चात् जांच अधिकारी ने जांच कार्यवाही आगे बढ़ाई। विभिन्न साक्षियों के बयान दर्ज किए गए तथा याचिकाकर्ता को उनसे प्रति-परीक्षण करने का अवसर भी प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता को अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् उसने दिनांक 03.04.2007 को अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात्, जांच अधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हैं। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता को सेवा से हटाए जाने के प्रस्तावित दंड के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिस पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किया गया और तत्पश्चात् दिनांक 26.04.2007 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया गया। इसके पश्चात् याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अपील एवं पुनरीक्षण को भी क्रमशः दिनांक 03.08.2007 एवं 03.04.2008 के आक्षेपित आदेशों द्वारा निरस्त कर दिया गया।

6. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिनांक 26.04.2007 को आक्षेपित आदेश पारित किए जाने के पश्चात्, जिसके द्वारा उसे सेवा से हटा दिया गया था, याचिकाकर्ता को उपर्युक्त आपराधिक मामलों में भी दोषमुक्त कर दिया गया था। मुकदमा अपराध संख्या 244 वर्ष 2006 तथा मुकदमा अपराध संख्या शून्य, धारा 414 के अंतर्गत मामले में दिनांक 29.10.2007 के निर्णय एवं आदेश द्वारा

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

तथा मुकदमा अपराध संख्या 243 वर्ष 2006 एवं मुकदमा अपराध संख्या 245 वर्ष 2006 के मामलों में दिनांक 02.07.2008 के निर्णय एवं आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को दोषमुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध मुख्य आरोप याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के कारण उसके विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत किए जाने से संबंधित था और उक्त मामलों में याचिकाकर्ता को पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है। यद्यपि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् ही उसके विरुद्ध सेवा से हटाए जाने का आदेश पारित किया गया था।

7. तथापि, अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभ में याचिकाकर्ता अस्वस्थ हो गया था और तत्पश्चात् उसे उपर्युक्त आपराधिक मामलों के संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें उसे दोषमुक्त कर दिया गया है। अतः याचिकाकर्ता की अनधिकृत अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा स्वेच्छापूर्वक नहीं थी, बल्कि उसकी अनुपस्थिति ऐसी परिस्थितियों के कारण हुई थी, जो याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर थीं। चूंकि याचिकाकर्ता को आपराधिक मामलों में पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका है, इसलिए सेवा से हटाए जाने के आदेश पर भी पुनर्विचार किया जाना अपेक्षित था और याचिकाकर्ता को सेवा में पुनः लिया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध सिद्ध आरोपों के संबंध में भी अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड, याचिकाकर्ता के अपराध की तुलना में अत्यधिक असंगत है। अतः याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त दंडादेश तथा अपील एवं पुनरीक्षण में पारित परिणामी आदेशों को निरस्त किए जाने और याचिकाकर्ता को समस्त परिणामी लाभ प्रदान किए जाने की प्रार्थना की।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.

8. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में लगाए गए आरोप वे नहीं थे, जो उसके विरुद्ध आपराधिक मामले में लगाए गए थे, बल्कि आरोप उसकी अनधिकृत अनुपस्थिति तथा अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के दौरान उसके द्वारा की गई अवैध गतिविधियों से संबंधित थे, जिनके कारण उसके विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत किए गए और उसे गिरफ्तार किया गया। ऐसी गतिविधियों से पी.ए.सी. जैसे अनुशासित बल की छवि को क्षति पहुंची, जो याचिकाकर्ता की ओर से अनुशासनहीनता एवं कदाचार के समान है। विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अनुशासनिक कार्यवाही विधि के अनुसार संचालित की गई थी और याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आक्षेपित आदेश पारित किए जाने से पूर्व उसे समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपनाई गई संपूर्ण कार्यवाही में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि भी नहीं हुई है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता एक अनुशासित बल का सदस्य था और वह पूर्व में दिनांक 21.06.2006 से दिनांक 25.06.2006 तक, जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया, विभाग को कोई सूचना दिए बिना अनुपस्थित रहा था तथा याचिकाकर्ता द्वारा की गई उन गतिविधियों के कारण, जिनके संबंध में उसके विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत किए गए थे, याचिकाकर्ता ने पी.ए.सी. जैसे अनुशासित बल की छवि को क्षति पहुंचाई और इस प्रकार उसे अनुशासनहीनता एवं कदाचार का दोषी पाया गया। इसके लिए याचिकाकर्ता को दिया गया दंड उचित तथा उसके अपराध के अनुपात में है। अतः आक्षेपित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए, राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात्, इस न्यायालय ने मामले के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। मामले के तथ्य ऊपर पूर्व में ही अंकित किए जा चुके हैं। यह निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता दिनांक 09.06.2006 को 12 दिनों के अवकाश पर गया था और उसे दिनांक 21.06.2006 को पुनः ड्यूटी पर उपस्थित होना था, किंतु उसने बिना कोई सूचना दिए पुनः ड्यूटी पर उपस्थित होने में विफलता की। दिनांक 25.06.2006 को याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध पंजीकृत उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्याओं के संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया। तथापि, याचिकाकर्ता का मामला यह है कि दिनांक 07.09.2006 को जेल से रिहा होने के पश्चात् उसने दिनांक 12.09.2006 को पुनः ड्यूटी पर उपस्थित होकर आमद दर्ज कराई, किंतु प्रतिवादियों द्वारा इस तथ्य का खंडन किया गया है। प्रतिवादियों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ किए जाने तथा उसे निलंबित किए जाने तक कभी भी पुनः ड्यूटी पर उपस्थित होकर आमद दर्ज नहीं कराई। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई और दिनांक 14.09.2007 को उसे विधिवत आरोप-पत्र तामील कराया गया। अपना बचाव प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण की गई, जिसके उपरांत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किया गया और याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनहीनता एवं कदाचार के आरोप सिद्ध पाए जाने पर सेवा से हटाए जाने का आक्षेपित दंडादेश पारित किया गया।

10. यद्यपि वर्तमान मामले में कदाचार याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत किए जाने से संबंधित है, जिनमें बाद में दिनांक 29.10.2007 एवं 02.07.2008 के निर्णयों एवं आदेशों द्वारा उसे दोषमुक्त कर दिया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

उपर्युक्त निर्णयों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि दोषमुक्ति संदेह का लाभ प्रदान किए जाने तथा अभियोजन द्वारा आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहने के आधार पर की गई थी।

11.यह विधि की स्थापित स्थिति है कि किसी दोषी कर्मचारी को बाद में दोषमुक्त किए जाने के पश्चात् भी, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में पारित आदेश स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। वर्तमान मामले में आरोप याचिकाकर्ता की अनधिकृत अनुपस्थिति, अनुशासनहीनता एवं कदाचार से संबंधित थे।

12.आगे बढ़ने से पूर्व, माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो उपर्युक्त मुद्दे पर प्रकाश डालते हैं। **कैप्टन एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड एवं अन्य, 1999, 3 एस.सी.सी. 679** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष प्रतिपादित किया है:

"22. उपर्युक्त संदर्भित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:

(i) विभागीय कार्यवाही तथा आपराधिक मामले की कार्यवाही एक साथ चल सकती है, क्योंकि दोनों कार्यवाहियों को एक साथ, यद्यपि पृथक रूप से, संचालित किए जाने पर कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है।

(ii) यदि विभागीय कार्यवाही तथा आपराधिक मामला समान एवं समरूप तथ्यों के आधार पर हैं और दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक मामले में लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है, जिसमें विधि एवं तथ्य के जटिल प्रश्न अंतर्निहित हैं, तो

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

आपराधिक मामले के निष्कर्ष तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखना उचित होगा।

(iii) आपराधिक मामले में आरोप की प्रकृति गंभीर है या नहीं तथा उसमें तथ्य एवं विधि के जटिल प्रश्न सम्मिलित हैं या नहीं, यह अपराध की प्रकृति, कर्मचारी के विरुद्ध प्रारंभ किए गए मामले की प्रकृति तथा जांच के दौरान उसके विरुद्ध एकत्र किए गए साक्ष्य एवं सामग्री अथवा आरोप-पत्र में परिलक्षित तथ्यों पर निर्भर करेगा।

(iv) उपर्युक्त (ii) एवं (iii) में उल्लिखित कारकों पर विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने के लिए पृथक रूप से विचार नहीं किया जा सकता, बल्कि इस तथ्य को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए कि विभागीय कार्यवाही में अनावश्यक रूप से विलंब नहीं होना चाहिए।

(v) यदि आपराधिक मामला आगे नहीं बढ़ता है अथवा उसके निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो रहा है, तो विभागीय कार्यवाही, भले ही आपराधिक मामले के लंबित रहने के कारण उसे स्थगित रखा गया हो, पुनः प्रारंभ की जा सकती है और आगे बढ़ाई जा सकती है, ताकि उसे शीघ्रता से पूर्ण किया जा सके। इसका उद्‌देश्य यह है कि यदि कर्मचारी दोषी नहीं पाया जाता है, तो उसकी प्रतिष्ठा बहाल हो सके और यदि वह दोषी पाया जाता है, तो प्रशासन यथाशीघ्र उसे सेवा से अलग कर सके।"

13.उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, विभागीय कार्यवाही तथा आपराधिक विचारण दोनों एक साथ चल सकते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ संचालित किए जाने पर कोई विधिक प्रतिबंध नहीं

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्‌देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्‌देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.

है। तथापि, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जहां विभागीय कार्यवाही तथा आपराधिक मामले में लगाए गए आरोप समान एवं समरूप तथ्यों पर आधारित हों तथा दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक मामले में लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का हो, जिसमें विधि एवं तथ्य के जटिल प्रश्न अंतर्निहित हों, वहां आपराधिक मामले के निष्कर्ष तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखना उचित होगा। आपराधिक मामले में लगाए गए आरोप गंभीर हैं अथवा उसमें तथ्य एवं विधि के जटिल प्रश्न सम्मिलित हैं, यह अपराध की प्रकृति तथा जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य एवं सामग्री के आधार पर कर्मचारी के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तथापि, उक्त निर्णय में यह भी प्रावधान किया गया है कि उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखना ही एकमात्र आधार नहीं हो सकता, बल्कि इस तथ्य को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए कि विभागीय कार्यवाही में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और जहां आपराधिक मामले के निस्तारण में विलंब हो रहा हो, वहां अनुशासनिक कार्यवाही को विलंबित नहीं किया जा सकता।

14. ***कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम सी. नागराजू, 2019, 10 एस.सी.सी. 367*** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

> *"10. चूंकि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के एम. पॉल एंथनी [एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, (1999) 3 एस.सी.सी. 679 : 1999 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 810] तथा जी. एम. टैंक [जी. एम. टैंक बनाम गुजरात राज्य, (2006) 5 एस.सी.सी. 446 : 2006 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 1121] के निर्णयों के आधार पर बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त किया था, इसलिए यह*

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.

जांचना आवश्यक है कि उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं अथवा नहीं। समान तथ्यों के आधार पर विभागीय कार्यवाही तथा आपराधिक मामले की कार्यवाही को एक साथ जारी रखने का प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष एम. पॉल एंथनी मामले [एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, (1999) 3 एस.सी.सी. 679 : 1999 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 810] में विचाराधीन था।" इस न्यायालय की राय थी कि विभागीय कार्यवाही तथा आपराधिक मामले की कार्यवाही एक साथ आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसा करने पर कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। तथापि, यदि विभागीय कार्यवाही तथा आपराधिक मामला समान एवं समरूप तथ्यों के आधार पर हैं और दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक मामले में लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है, जिसमें विधि एवं तथ्य के जटिल प्रश्न अंतर्निहित हैं, तो आपराधिक मामले के निष्कर्ष तक विभागीय जांच को स्थगित रखना वांछनीय है। उक्त मामले के तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि आपराधिक मामला तथा विभागीय कार्यवाही समान तथ्यों पर आधारित थे और आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य तथा विभागीय जांच में प्रस्तुत साक्ष्य समान थे। इसके अतिरिक्त, उक्त मामले में विभागीय जांच एकपक्षीय रूप से संचालित की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समान तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी कर्मचारी को दोषमुक्त किए जाने के दृष्टिगत, एकपक्षीय रूप से संचालित विभागीय कार्यवाही को प्रभावी बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध आपराधिक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे। उसे आपराधिक

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.

न्यायालय द्वारा इस आधार पर दोषमुक्त किया गया कि अभियोजन पक्ष आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा था। इसके विपरीत, शिकायतकर्ता तथा अन्य साक्षी जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध बयान दिए। विभागीय जांच में उपलब्ध साक्ष्य उन साक्ष्यों से पूर्णतः भिन्न हैं, जो आपराधिक विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

11.उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के जी. एम. टैंक [जी. एम. टैंक बनाम गुजरात राज्य, (2006) 5 एस.सी.सी. 446 : 2006 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 1121] के निर्णय पर भरोसा किया, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दाखिल रिट याचिका स्वीकार कर ली गई थी। उक्त मामले में, दोषी अधिकारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 5(1)(ई) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था। ***आपराधिक न्यायालय द्वारा उसे सम्मानपूर्वक दोषमुक्त कर दिया गया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोप को सिद्ध करने में विफल रहा था। इसके पश्चात्, उसके विरुद्ध विभागीय जांच की गई और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।*** *उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को भी बरकरार रखा गया था [जी. एम. टैंक बनाम गुजरात राज्य, 2003 एस.सी.सी. ऑनलाइन गुजरात 487]। दोषी अधिकारी द्वारा दाखिल अपील में,* ***इस न्यायालय की राय थी कि विभागीय कार्यवाही तथा आपराधिक मामला समान एवं समरूप तथ्यों के आधार पर आधारित थे।*** *आपराधिक न्यायालय के समक्ष तथा विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य बिल्कुल समान होने के कारण, इस न्यायालय ने*

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अभिनिर्धारित किया कि आपराधिक न्यायालय द्वारा कर्मचारी को दोषमुक्त किए जाने के तथ्य को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उचित महत्व दिया जाना आवश्यक है। इस आधार पर कि आपराधिक विचारण तथा विभागीय जांच, दोनों में साक्ष्य समान थे, इस न्यायालय ने उक्त अपीलकर्ता के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, वर्तमान मामले के तथ्य पूर्णतः भिन्न हैं। प्रतिवादी संख्या 1 की दोषमुक्ति इस कारण हुई थी कि आपराधिक न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। इसके विपरीत, बर्खास्तगी का आदेश जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था, जिसके समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध था।

12.कृष्णकली टी एस्टेट बनाम अखिल भारतीय चाय मजदूर संघ [कृष्णकली टी एस्टेट बनाम अखिल भारतीय चाय मजदूर संघ, (2004) 8 एस.सी.सी. 200 : 2004 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 1067] के मामले में इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के पश्चात् श्रमिकों की सेवाओं की समाप्ति की वैधता का प्रश्न विचाराधीन था। इस मामले के समान परिस्थिति से संबंधित मामले में, **जहां आपराधिक न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के अभाव के कारण दोषमुक्ति हुई थी और श्रम न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध था, इस न्यायालय की राय थी कि एम. पॉल एंथनी के मामले [एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, (1999) 3 एस.सी.सी. 679 : 1999 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 810] में प्रतिपादित निर्णय श्रमिकों के बचाव में नहीं आ सकता।**

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

13.अपीलकर्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करने के पश्चात्, ***हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना अनुचित था। यह विधि की स्थापित स्थिति है कि आपराधिक न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति, दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच किए जाने में बाधक नहीं होती है। यदि विभागीय जांच में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य उस साक्ष्य से भिन्न है, जो आपराधिक विचारण के दौरान प्रस्तुत किया गया था, तो अनुशासनिक प्राधिकारी आपराधिक न्यायालय के निर्णय से बाध्य नहीं होता है। विभागीय जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या दोषी कर्मचारी आचरण नियमों के अंतर्गत कदाचार का दोषी है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उसे सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए अथवा नहीं। विभागीय जांच में साक्ष्य का मानक साक्ष्य के नियमों पर कठोर रूप से आधारित नहीं होता है। जांच अधिकारी के समक्ष अनुशासनिक कार्यवाही में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पारित बर्खास्तगी का आदेश, जो आपराधिक न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य से भिन्न था, न्यायोचित था और उसमें उच्च न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।***

15.भारत संघ बनाम सीताराम मिश्रा : (2019) 20 एस.सी.सी. 588 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"14.यह तथ्य कि प्रथम प्रतिवादी को आपराधिक विचारण के दौरान दोषमुक्त कर दिया गया था, अपने आप में उस कदाचार के निष्कर्ष को दूषित करने का आधार नहीं हो सकता, जो अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान अभिलिखित किया गया है। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के एम. पॉल एंथनी बनाम भारत

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.

गोल्ड माइन्स लिमिटेड [एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, (1999) 3 एस.सी.सी. 679 : 1999 एस.सी.सी. (एल. एंड एस.) 810] के निर्णय से एक त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला है। उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय में प्रतिपादित निम्नलिखित विधिक सिद्धांत का उल्लेख किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 687, पैरा 13)

> *13...जहां विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य का मानक संभावनाओं की प्रबलता (प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रॉबेबिलिटीज) पर आधारित होता है, वहीं आपराधिक मामले में आरोप को अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया जाना आवश्यक है। इसका एक सीमित अपवाद यह हो सकता है कि विभागीय कार्यवाही तथा आपराधिक मामला समान तथ्यों के आधार पर हों और दोनों कार्यवाहियों में साक्ष्य समान हों तथा उनमें कोई भिन्नता न हो।*

15.इसमें कोई संदेह नहीं है कि ***आपराधिक विचारण में लगाया गया आरोप उस घटना के दौरान सहकर्मी कर्मचारी की मृत्यु से उत्पन्न हुआ था, जो उस गोली के चलने के परिणामस्वरूप हुई थी, जो उस हथियार से चली थी, जो बल के सदस्य के रूप में प्रथम प्रतिवादी को सौंपा गया था। किंतु कदाचार का आरोप प्रथम प्रतिवादी द्वारा अपने हथियार के संचालन में बरती गई लापरवाही तथा हथियार को किस प्रकार संचालित किया जाना चाहिए,*** *इस संबंध में विभागीय निर्देशों का अनुपालन करने में उसकी विफलता के आधार पर था। फलतः, आपराधिक मामले में दोषमुक्ति अनुशासनिक जांच के दौरान अधिरोपित दंड को निरस्त किए जाने का आधार नहीं थी।* ***अतः, अनुशासनिक मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय की***

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय [सीताराम मिश्रा बनाम भारत संघ, 2007 एस.सी.सी. ऑनलाइन कलकत्ता 718 : (2008) 1 कैल एल.जे. 863] विधि की दृष्टि से संधारणीय नहीं है।

16.***अजीत कुमार नेगी बनाम जनरल मैनेजर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड : (2005) 7 एस.सी.सी. 764*** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"11. हमारे मत में, विधि पर्याप्त रूप से स्थापित है। ***आपराधिक न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति, नियोक्ता को प्रवृत्त नियमों एवं विनियमों के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करने से वंचित नहीं करती है। दोनों कार्यवाहियां–आपराधिक तथा विभागीय–पूर्णतः भिन्न हैं। वे भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में संचालित होती हैं और उनके उद्देश्य भी भिन्न होते हैं। जहां आपराधिक विचारण का उद्देश्य अपराधी को उचित दंड देना है, वहीं विभागीय जांच की कार्यवाही का उद्देश्य दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय रूप से कार्यवाही करना तथा सेवा नियमों के अनुसार दंड अधिरोपित करना है।*** *आपराधिक विचारण में, कुछ परिस्थितियों में या कुछ अधिकारियों के समक्ष अभियुक्त द्वारा दिया गया अपराध-सूचक कथन साक्ष्य के रूप में पूर्णतः अग्राह्य होता है।साक्ष्य एवं प्रक्रिया के ऐसे कठोर नियम विभागीय कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। दोषसिद्धि का आदेश पारित करने के लिए आवश्यक प्रमाण की मात्रा, कदाचार किए जाने के निष्कर्ष को अभिलिखित करने के लिए आवश्यक प्रमाण की मात्रा से भिन्न होती है।* ***दोनों कार्यवाहियों में साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित नियम भी समान नहीं हैं। आपराधिक विधि में प्रमाण का भार अभियोजन पक्ष पर होता है***

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.

और जब तक अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को 'युक्तियुक्त संदेह से परे' सिद्ध करने में सक्षम न हो, तब तक विधि के न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, विभागीय जांच में 'संभावनाओं की प्रबलता' के आधार पर अभिलिखित निष्कर्ष के आधार पर दोषी अधिकारी पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है......"

17. ***राजस्थान राज्य बनाम हीम सिंह : (2020) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 886*** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"39. अनुशासनिक मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग करते समय, दो छोर होते हैं। पहला, संयम के नियम को अभिव्यक्त करता है। दूसरा, यह निर्धारित करता है कि किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप अनुमेय है। संयम का नियम न्यायिक पुनर्विलोकन के क्षेत्र को सीमित करता है। इसका एक वैध कारण है। यह निर्धारित करना कि कोई कदाचार किया गया है अथवा नहीं, मुख्यतः अनुशासनिक प्राधिकारी के अधिकार-क्षेत्र में आता है। न्यायाधीश अनुशासनिक प्राधिकारी का रूप धारण नहीं करता है। न ही न्यायाधीश नियोक्ता की भूमिका ग्रहण करता है। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा तथ्य के संबंध में अभिलिखित निष्कर्ष के प्रति सम्मान इस विचार की स्वीकृति है कि अपनी सेवा के कुशल संचालन के लिए नियोक्ता ही उत्तरदायी होता है। अनुशासनिक जांच में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है। किंतु वे साक्ष्य के उन कठोर नियमों से शासित नहीं होती हैं, जो न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होते हैं। अतः प्रमाण का मानक भी वह कठोर मानक नहीं है, जो आपराधिक विचारण में लागू होता है, अर्थात् युक्तियुक्त संदेह से परे

Translated Version. Not For Legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

प्रमाण का मानक, बल्कि यह संभावनाओं की प्रबलता द्वारा नियंत्रित सिविल मानक है। संभावनाओं की प्रबलता के नियम के अंतर्गत भी, संदर्भ एवं विषय-वस्तु के आधार पर विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। इस स्पेक्ट्रम का पहला छोर सम्मान एवं स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है–अर्थात् तथ्य-निर्धारण करने वाले प्राधिकारी के रूप में अनुशासनिक प्राधिकारी की स्थिति के प्रति सम्मान तथा सेवा में अनुशासन एवं कार्यकुशलता बनाए रखने में नियोक्ता की स्वायत्तता। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर यह सिद्धांत है कि जब जांच में अभिलिखित निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित न हों अथवा उनमें विकृति विद्यमान हो, तब न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने में विफलता, विधि की दृष्टि में तथ्य के विकृत निर्धारण का एक उदाहरण है। आनुपातिकता हमारे न्यायशास्त्र की एक सुदृढ़ विशेषता है। सेवा संबंधी न्यायशास्त्र ने लंबे समय से इस सिद्धांत को मान्यता दी है कि जब निष्कर्ष अथवा अधिरोपित दंड उपलब्ध साक्ष्य या कदाचार की गंभीरता की तुलना में असंगत हो, तब न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। न्यायिक कौशल इसी बात में निहित है कि इन दोनों किनारों के बीच, जिन्हें स्पेक्ट्रम के दो छोर कहा गया है, न्यायालय अपने न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रयोग में संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखे। जब न्यायाधीश न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग करते हैं, तब वे केवल हस्तक्षेप से विरत रहने के सिद्धांत का यांत्रिक रूप से उल्लेख करके अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाते। यह निर्धारित करने के लिए कि अनुशासनिक जांच में अभिलिखित निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित है अथवा नहीं, प्रारंभिक या सीमित स्तर की न्यायिक जांच की जाती है। इसका उद्देश्य न्यायालय की अंतरात्मा को यह संतुष्ट करना है कि कदाचार के

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.

आरोप का समर्थन करने के लिए कुछ साक्ष्य उपलब्ध हैं और निष्कर्ष की विकृति से बचाव किया जा सके। किंतु इससे न्यायालय को अनुशासनिक जांच में साक्ष्य संबंधी निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन करने अथवा उस दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं मिलती, जो न्यायाधीश को अधिक उपयुक्त प्रतीत हो। ऐसा करना ऊपर उल्लिखित प्रथम सिद्धांत के प्रतिकूल होगा। अंतिम मार्गदर्शक सिद्धांत सुदृढ़ व्यावहारिक विवेक का प्रयोग है, जिसके बिना न्यायाधीश का न्यायिक कौशल निष्फल हो जाता है।

18.**फूल सिंह (उपर्युक्त)** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"7. अतः इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न केवल यह विचारणीय है कि क्या इस आधार पर प्रतिवादी को सेवा में पुनः बहाल किया जा सकता है कि अब उसी आरोपों के आधार पर उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है?"

8. इस विषय पर विधि में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। विभागीय कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही से भिन्न होती है। दोनों के बीच मूलभूत अंतर यह है कि जहां विभागीय कार्यवाही में दोषी कर्मचारी को 'संभावनाओं की प्रबलता' के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, वहीं आपराधिक न्यायालय में अभियोजन पक्ष को अपना मामला 'युक्तियुक्त संदेह से परे' सिद्ध करना होता है। संक्षेप में, दोनों कार्यवाहियों के बीच अंतर साक्ष्य की प्रकृति तथा उसके परीक्षण की मात्रा में निहित है। अतः दोनों मंच अलग-अलग स्तरों पर कार्य करते हैं। इसी कारण, इस न्यायालय ने

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version: Not For Legal Use.

निरंतर यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल इस आधार पर कि किसी व्यक्ति को आपराधिक विचारण में दोषमुक्त कर दिया गया है, उसे स्वतः सेवा में पुनः बहाल नहीं किया जा सकता है।

"11. ....उपर्युक्त मामले में, इस न्यायालय द्वारा 'आपराधिक अपराध' और 'कदाचार' के बीच भी अंतर किया गया है। इनमें से एक को आपराधिक न्यायालय में सिद्ध किया जाना होता है, जबकि दूसरे को विभागीय कार्यवाही में सिद्ध किया जाना होता है। यद्यपि दोनों एक ही तथ्यों के समूह से उत्पन्न हो सकते हैं, फिर भी दोनों के बीच स्पष्ट अंतर है और केवल इस कारण कि किसी व्यक्ति को आपराधिक विचारण में दोषमुक्त कर दिया गया है, यह विभागीय कार्यवाही में अभिलिखित 'कदाचार' के निष्कर्ष को पलटने के समान नहीं होगा।....."

19.**राम लाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 7935 वर्ष 2023, दिनांक 04.12.2023) के मामले में**, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"25. निर्णयों में प्रयुक्त 'संदेह का लाभ' और 'सम्मानपूर्वक दोषमुक्त' जैसे अभिव्यक्तियों को किसी जादुई मंत्र के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। विधि का न्यायालय मात्र ऐसी शब्दावली के प्रयोग से प्रभावित नहीं होगा। वर्तमान मामले में, अपीलीय न्यायाधीश ने यह अभिलिखित किया है कि प्रदर्श पी-3, अर्थात् मूल अंकतालिका में जन्मतिथि 21.04.1972 अंकित है और अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों द्वारा भी इसे सिद्ध किया गया है। यह निष्कर्ष कि आपराधिक

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.

कार्यवाही में दोषमुक्ति अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर पूर्ण विचार किए जाने के पश्चात् हुई थी और अभियोजन पक्ष आरोप को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा था, केवल निर्णय का समग्र रूप से परिशीलन किए जाने के पश्चात् ही निकाला जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन करने वाला न्यायालय निर्णय की वास्तविक विषय-वस्तु का परीक्षण करने के लिए बाध्य है, न कि उसमें प्रयुक्त अभिव्यक्ति के स्वरूप मात्र के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए।"

20.महाराणा प्रताप सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य : 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 890 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"47. आपराधिक मामले में दोषमुक्ति से अभियुक्त को स्वतः यह अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता कि अनुशासनिक कार्यवाही के पश्चात् सार्वजनिक सेवा से उसकी बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया जाए। तथापि, यह विधि की स्थापित स्थिति है कि जब विभागीय जांच तथा आपराधिक कार्यवाही में आरोप, साक्ष्य, साक्षी और परिस्थितियां समान अथवा पर्याप्त रूप से समरूप हों, तो स्थिति एक भिन्न संदर्भ ग्रहण कर लेती है। ऐसी स्थिति में अनुशासनिक कार्यवाही में अभिलिखित निष्कर्षों को बनाए रखना अन्यायपूर्ण, अनुचित और दमनकारी होगा। यह स्थिति जी. एम. टैंक (उपर्युक्त) के निर्णय द्वारा स्थापित है, जिसे हाल के राम लाल बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय द्वारा पुनः पुष्ट किया गया है।

48.अनुशासनिक तथा आपराधिक कार्यवाही में आरोपों, साक्ष्यों, साक्षियों और परिस्थितियों के बीच समानता की सीमा का आकलन करने के लिए, उस सामग्री का

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not For Legal Use.

परीक्षण करना निस्संदेह आवश्यक है, जो ऐसे प्रश्न के उत्पन्न होने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हो।...."

21.**पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य बनाम मेहर सिंह : 2013 (7) एस.सी.सी. 685 के मामले में**, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"25. ' सम्मानपूर्वक दोषमुक्ति' की अभिव्यक्ति पर इस न्यायालय द्वारा एस. सामुथिरम के मामले में विचार किया गया था। उक्त मामले में, इस न्यायालय के समक्ष ऐसी स्थिति थी, जिसमें एक पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 509 तथा ईव-टीजिंग अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आपराधिक मामला लंबित था। उक्त मामले में उसे मुख्य साक्षियों के परीक्षित न किए जाने के कारण दोषमुक्त कर दिया गया था। आपराधिक मामले के संचालन में गंभीर त्रुटि थी। दो महत्वपूर्ण साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे। इस न्यायालय के मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली बनाम भोपाल सिंह पंचाल[12] के निर्णय का उल्लेख करते हुए, जिसमें लगभग समान तथ्यात्मक स्थिति में इस न्यायालय ने बैंक द्वारा किसी कर्मचारी को सेवा में पुनः बहाल करने से इनकार करने की कार्रवाई को इस आधार पर बरकरार रखा था कि आपराधिक मामले में उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया था और इसलिए यह सम्मानपूर्वक दोषमुक्ति नहीं थी, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्यवाही में अधिरोपित दंड को निरस्त किया जाना उचित नहीं था। इस न्यायालय ने अभिलिखित किया कि 'सम्मानपूर्वक दोषमुक्ति', 'दोष से दोषमुक्त' तथा 'पूर्णतः दोषमुक्त' जैसी

Translated Version. Not For Legal Use.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अभिव्यक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता अथवा दंड संहिता में ज्ञात नहीं हैं। इन अभिव्यक्तियों का सृजन न्यायिक निर्णयों द्वारा किया गया है। 'सम्मानपूर्वक दोषमुक्त' अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है, इसे परिभाषित करना कठिन है। इस न्यायालय ने व्यक्त किया कि जब अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के मामले पर पूर्ण विचार किए जाने के पश्चात् दोषमुक्त किया जाता है और अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहता है, तब संभवतः यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त को सम्मानपूर्वक दोषमुक्त किया गया था।"

22.**कांस्टेबल संख्या 118 अवधेश कुमार पांडेय (उपर्युक्त)** के मामले में, खंडपीठ ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का परिशीलन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान अपीलकर्ता को आपराधिक मामले में दोषमुक्त कर दिया गया था तथा अनुशासनिक कार्यवाही में उसे केवल दो दिनों की अनुपस्थिति के आधार पर दंडित किया गया था, जो बीमारी के कारण हुई थी। अतः खंडपीठ ने अधिरोपित दंड को असंगत पाते हुए उसे निरस्त कर दिया तथा अपीलकर्ता को 25 प्रतिशत बकाया वेतन एवं अन्य समस्त परिणामी लाभों सहित सेवा में पुनः बहाल किए जाने का निर्देश दिया।

23.इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने **आनंद कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य : 2025 0 ए.एच.सी. 188636 : 2025 0 सुप्रीम (ऑल) 3430** के मामले में, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का परिशीलन करने के पश्चात्, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

39.विभागीय जांच तथा आपराधिक विचारण के उद्देश्य, क्षेत्र, प्रक्रिया और साक्ष्य के मानकों का तुलनात्मक अध्ययन इस बात का निर्धारण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में दोनों कार्यवाहियों को एक साथ जारी रखना संभव अथवा उचित है या नहीं।

46.यदि विभागीय कार्यवाहियां लंबे समय तक लंबित रहती हैं और दोषी अधिकारियों को गंभीर कदाचार के आरोपों के बावजूद इस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी जाती है, मानो सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहे, तो इसके परिणाम विभागीय कार्यकुशलता, छवि और अनुशासन के लिए अत्यंत गंभीर होंगे।

Translated Version. Not For Legal Use.

24.उपर्युक्त निर्णयों में विधि की स्थिति पूर्णतः स्पष्ट है कि समान आरोपों के संबंध में आपराधिक विचारण तथा अनुशासनिक कार्यवाही अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित होती हैं और दोनों एक-दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। मात्र इस कारण कि किसी कर्मचारी को आपराधिक विचारण में दोषमुक्त कर दिया गया है, उसे ऐसी दोषमुक्ति के आधार पर स्वतः सेवा में पुनः बहाल नहीं किया जा सकता है। हाल के निर्णयों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि केवल आपराधिक विचारण में दोषमुक्त किए जाने का तथ्य, पूर्ववर्ती कार्यवाही में अभिलिखित कदाचार के निष्कर्ष को उलटने के समान नहीं होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों से यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जहां आरोप एवं अभियोग समान हों और आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया हो, वहां न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह परीक्षण करे कि उक्त दोषमुक्ति सम्मानपूर्वक दोषमुक्ति थी अथवा ऐसे कर्मचारी को संदेह का लाभ प्रदान किया गया था।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

यहां तक कि यदि दोषमुक्ति सम्मानपूर्वक हुई हो, तब भी न्यायालय के लिए यह परीक्षण करना आवश्यक है कि अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष तथा आपराधिक विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्षी समान थे अथवा नहीं। यदि दोनों कार्यवाहियों में साक्षियों का समूह समान था, तो आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दोषमुक्ति किए जाने की स्थिति में ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा सेवा में पुनः बहाली का आदेश दिया जा सकता है। तथापि, यदि न्यायालय परिशीलन के पश्चात् यह पाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान परीक्षित साक्षियों ने आरोपों का समर्थन किया था, किंतु उन्हीं साक्षियों ने आपराधिक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया, अथवा कुछ ऐसे अतिरिक्त तथ्य हैं, जो अनुशासनिक कार्यवाही में सिद्ध हुए हैं और जो आपराधिक विचारण का विषय नहीं थे, तो न्यायालय को ऐसी पूर्ण हो चुकी अनुशासनिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

25.उपर्युक्त स्थापित विधिक स्थिति तथा विचारण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित दोषमुक्ति के निर्णयों के परिशीलन के दृष्टिगत, अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहना, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पुलिस आयुक्त बनाम मेहर सिंह (उपर्युक्त)** के मामले में की गई व्याख्या के अनुसार, सम्मानपूर्वक दोषमुक्ति के समान है। अतः, एक बार जब आपराधिक मामलों में याचिकाकर्ता को सम्मानपूर्वक दोषमुक्त कर दिया गया है, तो उन्हीं आपराधिक मामलों के आधार पर, जो कदाचार एवं अनुशासनहीनता के सिद्ध आरोपों के संबंध में निष्कर्ष का मुख्य आधार थे, उक्त आरोपों का निष्कर्ष याचिकाकर्ता की बाद में हुई दोषमुक्ति के दृष्टिगत कायम नहीं रखा जा सकता।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

26.ऐसी स्थिति में, आक्षेपित आदेश को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा अनुशासनिक प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह याचिकाकर्ता की अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप तक ही स्वयं को कड़ाई से सीमित रखते हुए नया आदेश पारित करे तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उपयुक्त एवं आनुपातिक दंड का आदेश पारित करे।

27. तत्पश्चात्, प्रतिवादियों द्वारा इस प्रकार पारित किए जाने वाले नए आदेश के अधीन, याचिकाकर्ता को सेवा में पुनः बहाल किया जाएगा। यह भी प्रावधानित किया जाता है कि ऐसी पुनर्बहाली के पश्चात् याचिकाकर्ता को सेवा की निरंतरता तथा अन्य समस्त परिणामी लाभ प्रदान किए जाएंगे; तथापि, वह सेवा से हटाए जाने की तिथि से पुनः सेवा में बहाल किए जाने की तिथि तक की अवधि के लिए बकाया वेतन पाने का हकदार नहीं होगा।

28. तदनुसार, रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)

दिनांक: 05 अगस्त, 2026

आशीष प्रसाद

Translated Version, Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”